

(1) कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला छतरपुर म.प्र. परिशिष्ट-1  
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 226 के प्रश्नांश "क" की जानकारी तहसील छतरपुर

क.	तहसील	बीमा कम्पनी का नाम	सौसम / वर्ष	बीमित कृषकों की संख्या	कृषक प्रीमियम राशि रु.
1	2	3	4	5	6
1	छतरपुर	एग्रिकल्चर इश्योरेंस	रबी 2014-15	6156	1160166.00
			खरीफ 2015	6611	7037872.00
			रबी 2015-16	4204	1259820.00
			खरीफ 2016	2112	1863328.92
2	छतरपुर	एच.डी.एफ.सी.इरगो	रबी 2016-17	6523	3568185.31
			खरीफ 2017	2981	4229149.49
			रबी 2017-18	5704	4842076.36
			खरीफ 2018	2792	2533991.37
3	छतरपुर	एग्रिकल्चर इश्योरेंस	रबी 2018-19	6245	5315777.23
			खरीफ 2019	1584	867195.00
		योग		44912	32677561.68


उप संचालक  
किसान कल्याण एवं कृषि विकास  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

उप संचालक  
किसान कल्याण एवं कृषि विकास  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

उप संचालक  
किसान कल्याण एवं कृषि विकास  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

सशोधित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 226 तारकित के प्रश्न ख की जानकारी

जिला	तहसील	मौसम वर्ष	प्राप्त सूचनाएं	सर्वेक्षण हेतु मान्य	सम्पन्न सर्वेक्षण	सर्वेक्षण हेतु अमान्य	बीमांकन संबंधी प्राप्त विवरणों से मिलान के आधार पर दावों हेतु मान्य सूचनाएं	भुगतान की गयी दावा राशि रु.	टिप्पणियां
छतरपुर	छतरपुर	खरीफ 2016	168	168	168	0	10	115844.00	शेष 158 कृषकों द्वारा दर्ज करायी गयी जानकारियों का बीमांकन संबंधी प्राप्त विवरणों से मिलान किए जाने पर त्रुटियों होने के कारण दावे देय नहीं हो सके।
छतरपुर	छतरपुर	रबी 2016-17	11	0	0	11	-	-	कृषकों द्वारा फसल हानि के दर्ज कराए गए कारण योजना के प्रावधानों अनुसार व्यक्तिगत सर्वेक्षण किए जाने हेतु मान्य नहीं है।
छतरपुर	छतरपुर	खरीफ 2017	134	4	4	130	1	8720.00	सर्वेक्षण हेतु मान्य 4 कृषकों में 1 कृषक के बीमांकन संबंधी विवरण व दर्ज कराए गए विवरण सही पाए गए शेष 3 कृषकों द्वारा दर्ज करायी गयी जानकारियों का बीमांकन संबंधी प्राप्त विवरणों से मिलान किए जाने पर त्रुटियों होने के कारण दावे देय नहीं हो सके। अन्य 130 कृषकों द्वारा फसल हानि के दर्ज कराए गए कारण योजना के प्रावधानों अनुसार व्यक्तिगत सर्वेक्षण किए जाने हेतु मान्य नहीं है।
छतरपुर	छतरपुर	रबी 2017-18	25	19	19	6	-	-	सर्वेक्षण हेतु मान्य 19 कृषकों की जानकारियों का मिलान बीमांकन संबंधी विवरणों से किए जाने पर पात्र कृषकों के दावों का भुगतान संपूर्ण राज्यांश एवं केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना है।
छतरपुर	छतरपुर	खरीफ 2018	17	9	9	8	-	-	सर्वेक्षण हेतु मान्य 9 कृषकों की जानकारियों का मिलान बीमांकन संबंधी विवरणों से किए जाने पर पात्र कृषकों के दावों का भुगतान संपूर्ण राज्यांश एवं केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना है।
छतरपुर	छतरपुर	रबी 2018-19	17	10	10	7	-	-	सर्वेक्षण हेतु मान्य 9 कृषकों की जानकारियों का मिलान बीमांकन संबंधी विवरणों से किए जाने पर पात्र कृषकों के दावों का भुगतान संपूर्ण राज्यांश एवं केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना है।



*[Signature]*

संयोजक (2)

मुख्य

मुख्य

मुख्य

Part 2